प्रेस नोट
दिनांक 07.09.2026

शराब की दुकान के सेल्समैन से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ में 01 शातिर बदमाश घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा मय कारतूस, लूट के 19,500/– रूपये व 01 अदद स्प्लेंडर मोटरसाईकिल बरामद–

कार्यवाही–
दिनांक 06/07.09.2026 की रात्रि को थाना को0नगर पुलिस, एसओजी एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दुल्लापुर की तरफ से एक शातिर बदमाश बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाईकिल के साथ आ रहा है। पुलिस टीम द्वारा लालपुर खालसा तिराहा के पास पंहुचकर अभियुक्त को घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम यश प्रताप सिंह बताया गया। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्तपाल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस, 19500/– रू0 नकद एवं बिना नम्बर प्लेट की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 04.09.2026 को समय करीब 22:30 बजे वादी अंकित गुप्ता, जो रूद्रपुर विशेन स्थित कम्पोजिट शराब की दुकान पर सेल्समैन है, अपनी दुकान बंद कर अपने साथी शिवप्रकाश तिवारी के साथ अम्बेडकर चौराहे से बालपुर बाजार जा रहा था। इसी दौरान पीछे से दो मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा उन्हें रोककर असलहे से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वादी के पास मौजूद दुकान के करीब ₹70,000/– नकद लूटकर मौके से फरार हो गए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 06/7.09.2026 की रात्रि को थाना को0नगर पुलिस, एसओजी एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दुल्लापुर की तरफ से एक शातिर बदमाश बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाईकिल के साथ आ रहा है। पुलिस टीम द्वारा लालपुर खालसा तिराहा के पास पंहुचकर अभियुक्त को घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम यश प्रताप सिंह बताया गया। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्तपाल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस, 19500/– रू0 नकद एवं बिना नम्बर प्लेट की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम यश प्रताप सिंह बताया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में दिनांक 04.09.2026 को रूद्रपुर विशेन स्थित कम्पोजिट शराब की दुकान के सेल्समैन से हुई लूट की घटना को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कारित करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. यश प्रताप सिंह पुत्र अरूण कुमार सिंह नि0 ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0 819/2026, धारा 309(6)/162(2)/351(3) बीएनएस, थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–824/26, धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद 315 बोर तमंचा।
02. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
03. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
04. 19,500 रूपया नगद
15. 01 अदद बिना नम्बर की स्प्लेंडर मोटरसाईकिल

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. प्र0नि0 विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी थाना को0 नगर
02. आशुतोष सिंह प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम।
03. मनीष कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 07.09.2026

थाना कौड़िया क्षेत्रान्तर्गत गश्त कर रही पीआरवी वाहन पर पथराव एवं पुलिस टीम पर हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 06/07.09.2026 की मध्य रात्रि थाना कौड़िया क्षेत्रान्तर्गत छिरास में गश्त कर रही पीआरवी वाहन पर पथराव किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थानाध्यक्ष कौड़िया श्री शशि कुमार राणा मय पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां अभियुक्तगण ''गिरवर दयाल उर्फ नागा पुत्र गोपीनाथ शुक्ला'' एवं ''शिवदयाल उर्फ सचिन उर्फ ददऊ पुत्र गोपीनाथ'' द्वारा पथराव करते हुए पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। घटना में पुलिस टीम के कुछ सदस्यों को चोटें आईं। प्रकरण के संबंध में थाना कौड़िया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना कारित करने वाले दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कौड़िया में पूर्व से भी कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. गिरवर दयाल उर्फ नागा पुत्र गोपीनाथ शुक्ला निवासी शुक्ल पुरवा छिरास, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।
02. शिवदयाल उर्फ सचिन उर्फ ददऊ पुत्र गोपीनाथ, निवासी शुक्ल पुरवा छिरास, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

अभियुक्त गिरवर दयाल उर्फ नागा का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0 202/2022, धारा 223, 504, 506 भा0द0सं0 व 3(1)(द), 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 322/2023, धारा 379, 411 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 266/2024, धारा 191(2), 190, 118(1), 110, 352, 324(4) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0 85/2025, धारा 303(2) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0 90/2026, धारा 352, 115(2), 324(2), 351(3) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

अभियुक्त शिवदयाल उर्फ सचिन उर्फ ददऊ का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 266/2024, धारा 191(2), 190, 118(1), 110, 352, 324(4) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 252/2025, धारा 352, 351(3), 115(2), 326(छ) बीएनएस व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(डब्ल्यू), 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

01. शशि कुमार राणा थानाध्यक्ष कौड़िया मय पुलिस टीम

मीडिया सेल, गोण्डा।